

दैनिक

न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्व का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्व की टीम आपके घर विजित करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।



RNI NO - CHHIN/2018/76480

Postal Registration No-055/Raigarh DN CG

रायगढ़, बुधवार 17 नवंबर 2021

पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए

वर्ष-04, अंक- 50

महत्वपूर्ण एवं खास

पुष्कर में पंचतीर्थ स्नान के लिए श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डूबकी

अजमेर (आरएनएस)। राजस्थान में अजमेर के तीर्थराज पुष्कर-जगतपिता ब्रह्मा की नगरी में चल रहे अन्तर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में पवित्र कार्तिक माह के पंचतीर्थ स्नान का दौर जारी है और हजारों श्रद्धालु ब्रह्महर्त से ही पवित्र सरोवर में आस्था की डूबकी लगा रहे हैं। इसी क्रम में संतो का शाही स्नान भी ब्रह्म चतुर्दशी 18 नवम्बर को किया जायेगा। पुष्कर में मौजूद सैन भक्ति पीठ के संस्थापक सैनाचार्य स्वामी अचलानंदचार्य तथा राम रमैया आश्रम के महंत प्रेमदास के नेतृत्व में शुक्रवार सुबह शाही सवारी बैण्ड बाजों के साथ निकाली जायेगी, जो पुष्कर के विभिन्न मार्गों से होती हुई पवित्र सरोवर के करणी घाट पहुंचेगी जहां सभी साधु संत, महात्मा परम्परागत तरीके से कार्तिक शाही स्नान करेंगे। कार्तिक पूर्णिमा 19 नवम्बर को महास्नान के साथ ही पंचतीर्थ स्नान सम्पन्न हो जायेगा।

ट्रक और कार की भिड़त में 6 लोगों की मौत, 4 की हालत गंभीर

जुमई (आरएनएस)। बिहार के जमुई में एक भयानक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। सिकंदरा से सटे हलसी थाना क्षेत्र में एक ट्रक और सुमो विटका की आमने-सामने जबरदस्त टकरा में छह लोगों की मौत हो गई है जबकि चार के गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा उस समय हुआ जब सभी लोग पटना में दाह संस्कार के बाद जमुई खैरा लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार ये हादसा सिकंदरा-शेखपुर मुख्य मार्ग पर स्थित पिपरा गांव के पास हुआ। मरने वालों में 5 लोग जमुई के खैरा प्रखंड के नौडीहा के बताए जा रहे हैं। जबकि एक चौहान जी क्षेत्र के रहने वाले थे। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल चार लोगों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग जुट गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम किया और अब आगे की कार्रवाई में जुटी है। पुलिस का कहना है कि मुत्तकों व घायलों की पहचान कर परिजनों को सूचना दे दी गई है।

केरल के जंगल में मृत मिला हाथी

तिरुवनंतपुरम (आरएनएस)। केरल के पल्लकड जिले के पास मलमपुडुआ के जंगलों में मंगलवार सुबह तीन साल का एक नर हाथी मृत पाया गया। अधिकारियों को संदेह है कि हाथी बिजली के तार के संपर्क में आया और उसे करंट लग गया। वन एवं वन्य जीव अधिकारी, पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। जब लोग दुर्घटना स्थल पर पहुंचे, तो तीन अन्य जंगली हाथी, मृत हाथी की रखवाली कर रहे थे। वे उसे धक्का दे रहे थे और उठने का संकेत दे रहे थे। इस बीच, अधिकारी अब यह प्रयास कर रहे हैं कि तीनों जंगली हाथियों को जंगलों में ले जाया जाए, ताकि मृत हाथी का पोस्टमार्टम किया जा सके। अधिकारियों ने बताया कि इसे दफनाने की भी व्यवस्था की जा रही है।

हिमाचल प्रदेश में कक्षा-1 से कक्षा-3 तक के स्कूल खुले

शिमला (आरएनएस)। हिमाचल प्रदेश में कक्षा-1 से कक्षा-3 के लिए स्कूल लंबे समय बाद खुल गए हैं। शिमला के एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका ने कहा कि, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है, स्कूल को सैनिटाइज किया गया है। आज 55 प्रतिशत बच्चे स्कूल पहुंचे हैं, आने वाले दिनों में इसमें बढ़ोतरी होगी।

दिल्ली में पारा गिरकर 10 डिग्री तक पहुंचा, मौसम हुआ बेहद खराब

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली में मंगलवार की सुबह धुंध छाई रही और न्यूनतम तापमान गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। वहीं हवा की गुणवत्ता बहुत खराब रही। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक इस हफ्ते अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री और न्यूनतम 10 से 11 डिग्री के बीच रहेगा। सुबह 8.30 बजे सापेक्षिक आर्द्रता 88 फीसदी दर्ज की गई। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार, दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक सुबह 9 बजे 331 रहा। सफर के अनुसार मंगलवार को एक्वआई में सुधार की संभावना नहीं है क्योंकि परिवहन और दिल्ली में खेतों में जलाई जा रही पराली से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है।

रिपोर्ट : पिछले 20 साल में हिरासत में 1888 मौतें

महज 26 पुलिसकर्मी पर ही दोष साबित हुआ

नई दिल्ली (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुई अल्ट्राफ की मौत से एक बार फिर पुलिस महकमा कटघरे में है और इस कांड ने पुलिस कस्टडी में होने वाली मौतों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अगर पिछले बीस साल का लेखा-जोखा देखें तो देश में पुलिस हिरासत में मौत के 1888 मामले सामने आए, मगर इनमें से महज 26 पुलिसवाले ही दोषी पाए गए।



नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एनुअल क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक, देशभर में पिछले 20 सालों में 1888 लोगों की मौत पुलिस हिरासत में हुई है, मगर केवल 26 पुलिसकर्मी ही दोषी पाए गए। डेटा के मुताबिक, हिरासत में मौत मामले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ 893 मामले दर्ज हुए हैं और 358 के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए गए। यह आंकड़े मौजूदा वक्त में इसलिए भी अहम हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कासगंज में कोतवाली थाने में किशोरी

को अगवा करने के मामले में लाकर रखे गये अहरोली निवासी अल्ट्राफ की मौत हो गई थी। इस मामले में पीड़ित पिता चांद मियां ने पुलिस पर हत्या करने का आरोप लगाया था। इस घटना के बाद पांच पुलिसवालों को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस ने दावा किया था कि अल्ट्राफ ने हवालात के टॉयलेट में टोंटी से फांसी लगा ली थी। रिपोर्ट के मुताबिक, एनसीआरबी के डेटा से पता चलता है कि हिरासत में मौत के मामले में सबसे अधिक पुलिसवाले 2006 में ही दोषी पाए गए थे। 2006 में दोषी

पाए गए 11 पुलिसवालों में सात उत्तर प्रदेश के थे और चार मध्य प्रदेश के थे। लेटेस्ट डेटा के मुताबिक, 2020 में सबसे अधिक गुजरात में हिरासत में मौत के मामले दर्ज किए गए थे। गुजरात में कस्टोडियल डेथ की 15 घटना दर्ज की गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, बिहार, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में भी पुलिस हिरासत में मौत के ऐसे ही मामले सामने आए। मगर

यहां ध्यान देने वाली बात है कि पिछले साल यानी 2020 में एक को भी दोषी नहीं पाया गया।

2017 से एनसीआरबी हिरासत में मौत के मामलों में गिरफ्तार पुलिसकर्मियों पर डेटा जारी कर रहा है। पिछले चार सालों में हिरासत में हुई मौतों के सिलसिले में 96 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि, इससे पहले के सालों का डेटा उपलब्ध नहीं है। पुलिस हिरासत में या लोकअप में मौत को एनसीआरबी ने दो भागों में बांटा है- एक रिमांड पर और दूसरा रिमांड पर नहीं। ब्यूरो के डेटा से पता चलता है कि 2001 से रिमांड पर नहीं कैटेगरी में 1185 और रिमांड पर कैटेगरी में 703 कस्टोडियल डेथ के मामले दर्ज किए गए हैं। डेटा के मुताबिक, पिछले दो दशकों के दौरान हिरासत में हुई मौतों के संबंध में पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज 893 मामलों में से 518 उन लोगों से संबंधित हैं, जो रिमांड पर नहीं थे।

सर्विस सेंटर में वाहन की रिपेयर में कोताही पर निर्माता जिम्मेदार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि डीलर या अधिकृत सर्विस सेंटर वाहन में रिपेयर में कोताही पर कार निर्माता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इस मामले में एक होडा सिटी कार जो 1999 में खरीदी गई थी 2010 में उसमें दुर्घटना के कारण कुछ डैमेज हो गया। कार को अधिकृत सेवा केंद्र में ले जाया गया। बाद में इस मामले में सर्विस सेंटर और कार निर्माता पर कोताही का शिकायत करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत की गई। जिला फोरम ने शिकायत को स्वीकार कर लिया लेकिन यह मानने से इनकार कर दिया कि इस मामले कार निर्माता की कोई गलती है, क्योंकि शिकायत में ऐसा कहीं नहीं बताया गया था कि कार के निर्माण में कोई खामी

थी। यह फैसला राज्य आयोग में बरकरार रहा। राष्ट्रीय आयोग ने इस फैसले को पलट दिया और कार निर्माता को भी दोषी ठहराया। आयोग ने आदेश दिया कि वाहन निर्माता शिकायतकर्ता को बांड न्यू कार दे और साथ में ढाई लाख रुपये का मुआवजा भी दे। आयोग का कहना था कि उपभोक्ता को नई कार देने से निर्माता की साख बढ़ेगी। इस आदेश को निर्माता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने आदेश में कहा कि जब कार के निर्माण में कोई कमी नहीं है तो कार निर्माता को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कोर्ट ने जिला और राज्य उपभोक्ता मंचों के आदेश को सही ठहराया जिन्होंने कार की रिपेयर करने में डीलर और सर्विस सेंटर को जिम्मेदार ठहराया था।

मंदिरों में पूजा करने के तौर तरीकों में कोर्ट दखल नहीं दे सकता : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। मंदिर के दिन-प्रतिदिन के रीति-रिवाज कुछ ऐसी चीज नहीं हैं, जिसमें संवैधानिक अदालतें शामिल हो। सुप्रीम कोर्ट ने आज तिरुपति के पास भगवान वेंकटेश्वर के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर में पूजा अनुष्ठानों में अनियमितता का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि नारियल को कैसे तोड़ा जाए, इस बारे में अदालतें कैसे हस्तक्षेप कर सकती हैं? आरती कैसे करें? मंदिर के रीति-रिवाज स्थापित प्रथाएँ हैं। ऐसे

मुद्दों को अदालतें नहीं झेल सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर प्रशासन में भेदभाव या दर्शन की अनुमति नहीं देने जैसे मुद्दे हैं, तो अदालतें हस्तक्षेप कर सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश ने मंदिर प्रशासन को निर्देश दिया कि अगर ऐसे कोई मुद्दे हैं तो याचिकाकर्ता को आठ सप्ताह के भीतर जवाब दें। तिरुपति धरुमाला देवस्थान (टीटीडी), जो मंदिर के प्रशासन को देखता है, ने पहले शीर्ष अदालत में एक हलफनामा दायर किया था जिसमें कहा गया था कि परम पावन रामानुजाचार्य द्वारा सही जांच और संतुलन की शुरुआत



की गई है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वैखानस आगम सेवा/उत्सव सख्ती से आयोजित किए जाते हैं। कोर्ट ने कहा कि धार्मिक कर्मचारियों और मंदिर के अन्य पुजारियों द्वारा अनुष्ठान अत्यंत ईमानदारी, विश्वास और भक्ति के साथ किया जाता है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता श्रीवारी दादा ने

तर्क दिया था कि यह मुद्दा मौलिक अधिकारों से संबंधित है। सितंबर में पिछली सुनवाई में, मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि भगवान बालाजी के भक्त के रूप में उन्हें और अधिक धैर्य दिखाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश रमण ने कहा था, आप भगवान बालाजी के भक्त हैं। बालाजी के भक्तों में धैर्य है। आपको पास धैर्य नहीं है। शीर्ष न्यायाधीश ने यह भी बताया था कि उनका परिवार भी बालाजी भक्त था। मुख्य न्यायाधीश रमना ने तब कहा था, मैं, मेरे भाई, मेरी बहन, हम सभी बालाजी भक्त हैं।

कोयले के पूरी तरह से प्रयोग खत्म करने के पक्ष में भारत और चीन अभी नहीं

नई दिल्ली (आरएनएस)। संयुक्त राष्ट्र संघ की जलवायु वार्ता में भारत और चीन प्रस्ताव में एक बड़ा बदलाव करवाने में कामयाब रहे। ग्लोबल वार्मिंग कम करने और अपने अपने देश को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए लगभग 200 देशों की कई स्तर पर बैठक हुई है। सीओपी 26 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और चीन ने विकासशील देशों की अगुवाई करते हुए कोयले के इस्तेमाल को पूरी तरह से खत्म करने और जीवाश्म ईंधन सख्ती हटाने के प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया था। इसके बाद ही इस सम्मेलन में कोयला का इस्तेमाल खत्म करने की नहीं बल्कि कम करने के लक्ष्य के साथ जलवायु समझौते को मंजूरी दी गई है। इस सम्मेलन के खत्म होने से इन वक्त पहले



ही भारत के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसी के साथ कोयले से जुड़े %फेज डाउन% शब्द ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। दर्शन कि कुछ देश कोयले के इस्तेमाल को पूरी तरह खत्म ना करके धीरे-धीरे कम करेंगे जिससे कई देशों में नाराजगी भी देखने को मिली। पीओपी 26 शिखर सम्मेलन

लेकिन आखिरी पलों में भारत और चीन ने इसे अपनी जरूरतों के हिसाब से फेस डाउन मतलब धीरे धीरे कम करना करा लिया। समझौते में कार्बन उत्सर्जन में कटौती और विकासशील देशों के लिए मदद का वादा किया गया था की जा रही है वह धरती के तापमान की विधि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए नाकफी साबित हो रही है। भारत और अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। दर्शन कि कुछ देश कोयले के इस्तेमाल को पूरी तरह खत्म ना करके धीरे-धीरे कम करेंगे जिससे कई देशों में नाराजगी भी देखने को मिली। पीओपी 26 शिखर सम्मेलन

के अध्यक्ष आलोक शर्मा ने कहा कि इस तरह के परिस्थितियों के सामने आने का उन्हें दुख है। चीन और भारत की इस एकजुटता के बाद शर्मा ने कहा कि भारत और चीन को खुद ही जलवायु परिवर्तन के खतरे से जूझ रहे तमाम देशों को अपने इस फैसले को समझाना होगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ऐतिहासिक समझौता 1.5 डिग्री तक की तापमान वृद्धि के लक्ष्य के हिसाब से ही सही है। चीन ने भारत का साथ देते हुए विकसित देशों से कार्बन उत्सर्जन को लेकर जवाबदेही मानी है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजीयान ने एक बयान में कहा कि कोयले के इस्तेमाल को खत्म करना एक लंबी प्रक्रिया है जिसके लिए विकसित देशों की ऊर्जा की मांग को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

मोदी सरकार ने दिया गुरु पर्व का तोहफा: आज से फिर खुलेगा करतारपुर साहिब कॉरिडोर

नई दिल्ली (आरएनएस)। गुरु पर्व से ठीक पहले सिख समुदाय के श्रद्धालुओं के लिए मोदी सरकार ने अच्छी खबर दी है। गुरु पर्व को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने कल यानी 17 नवंबर से करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने का फैसला किया है।



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में किया था। दरअसल, बीते दिनों पंजाब के भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और गुरुद्वारा करतारपुर कॉरिडोर को खोलने की

मांग की थी। प्रतिनिधिमंडल ने 19 नवंबर को गुरु नानक जयंती से पहले इस कॉरिडोर को खोलने का आग्रह किया था, ताकि श्रद्धालु पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेक

सकें। प्रधानमंत्री से मिलने वाले भाजपा प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, महासचिव तरुण चुग और दुष्यंत गौतम समेत एक दर्जन नेता शामिल थे। बता दें कि यह कॉरिडोर कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से ही बंद है।

कब हुआ था कॉरिडोर का उद्घाटन

इस कॉरिडोर का उद्घाटन 9 नवंबर, 2019 को किया गया था। अगस्त के महीने में पाकिस्तान ने भारत समेत 11 देशों की यहां यात्रा पर प्रतिबंध लगाया

था। डेल्टा वैरिएंट के प्रकोप की वजह से पाकिस्तान ने 22 मई से लेकर 12 अगस्त तक भारत को सी कैटेगरी में डाल दिया था। 16 मार्च, 2020 को भारत और पाकिस्तान ने कोविड-19 को देखते हुए अस्थायी तौर पर करतारपुर साहिब की यात्रा पर प्रतिबंध लगाया था।

सिख समुदाय के लिए वयों खास है करतारपुर गुरुद्वारा

पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब सिखों के लिए सबसे पवित्र स्थान है। यह भारतीय सीमा से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। सिखों के गुरु नानक जी ने करतारपुर को बसाया

था और यहीं उन्होंने अंतिम सांस ली थी। करतारपुर साहिब, पाकिस्तान के नारोवाल जिले में है जो पंजाब में आता है। कहा जाता है कि गुरुनानक देव ने यहां अपने जीवन के 17 साल बिताए थे। करतारपुर गुरुद्वारा साहिब का निर्माण 1,35,600 रूपए की लागत में किया गया था। यह राशि पटियाला के महाराजा सरदार भूपिंदर सिंह ने दी थी। 1995 में पाकिस्तान सरकार ने इसकी मरम्मत कराई थी और 2004 में इसे पूरी तरह से संवारा गया। कहा जाता है कि यहीं से सबसे पहले लंगर की शुरुआत हुई थी। नानकदेव ने गुरु का लंगर ऐसी जगह बनाई जहां बिना भेदभाव के पुरुष और महिला दोनों साथ में भोजन करते हैं।